हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	18/2021 किशोरी वगैराह बनाम सरकार वगैराह
30/6/21	कोरोना वैश्विक महामारी के कारण केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉक डाउन के कारण पत्रावली आज पेश हुई पत्रावली आदेशानुसार दिनांक 14/7/21 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर
14/7/21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उप0/वकील अप्रार्थी उप0/ बहस हेतु समय चाहा/अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते बहस प्रार्थना-पत्र एवं रेस्पोण्डेन्ट की तामील हेतु पत्रावली दिनांक 19/7/21 को पेश हो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर
19.07.21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति एवम् प्रा.पत्र O1R10 पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22.07.21 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर
22.07.21 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि हस्तगत अपील किशोरीलाल वगैरह बनाम सरकार वगैरह में प्रार्थीगण सेडूराम, फाकरमल, गोपाल, पतासी तथा श्रवण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O1R10 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित किये जाने की प्रार्थना की गई। उक्त प्रार्थीगण में से एक प्रार्थी गोपाल पुत्र माधोराम द्वारा प्रारम्भिक विधिक आपत्ति प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष

Scanned by CamScanner

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	18/2021 छित्रोडी चौराह / सरवणा चौराह	
	को सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 01R10 सीपीसी पर सुना गया। प्रार्थीगण का कथन है कि वे वादग्रस्त कदीमी रास्ते से अपने खेत में आते जाते हैं तथा अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया है। यदि हस्तगत अपील में तो विपरीत निर्णय पारित किया जाता है तो वे उससे अत्यन्त पीड़ित होंगे। अतः वे प्रकरण में प्रभावी पक्षकार हैं जिन्हें अपील के दौरान सुना जाना आवश्यक है अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को बतौर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 06 लगायत 10 पक्षकार संयोजित किया जाये। अपार्थी / अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता के कथन का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि मात्र आवागमन के आधार पर प्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सकता है तथा वे अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं हैं अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश द्वारा जिन खसरा नम्बरान की भूमि में से रास्ता हेतु अमल दरामद के आदेश प्रदान किये गये हैं उनमें ख.न. 332 व 333 भी हैं जो प्रार्थीगण की खातेदारी में हैं। इस प्रकार यह बखूबी साबित है कि अपीलाधीन आदेश से प्रार्थीगण प्रत्यक्षतः प्रभावित पक्षकारान हैं जिन्हें अपील के दौरान सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र 01R10 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को बतौर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 06 लगायत 10 पक्षकार	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म या हुक्म जारी हुआ
	18/2021 विश्नोई कॉलोनी/ सरकार गंगोत्र	
	संयोजित किया जाता है। अपील के उनवान में लाल स्याही से इस आशय की प्रविष्टि की जाये। तत्पश्चात उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर की गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नहीं थे तथा अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने का कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही इस आशय का कोई कथन अपील मीमो में किया गया है अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है तथा अपील इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत RRD 1993 P 44, RRD 1993 P 232, RRD 1985 P 584, RRD 1983 P 328, RRD 1989 P 292 एवम् RRD 1990 P 689 प्रस्तुत किये गये। अधिवक्ता अप्रार्थी / अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें जानबूझकर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है तथा उन्हें सुने बिना उनकी खातेदारी की कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है अतः उन्हें अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है अतः प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक विधिक आपत्ति खारिज किया जाये। उभयपक्ष के कथन पर मनन किया गया।	

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	18/2021 -किशोरी चौहान/ नारायण चौहान	

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपील धीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपेक्षाधीन आदेश में पक्षकार नहीं थे। इनके द्वारा अपील प्रस्तुत करते समय कोई भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 96 सीपीसी प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही अपील मीमो में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु कोई अनुतोष चाहा गया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक सिद्धान्त स्पष्ट है जिसकी पुष्टि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से बखूबी होती है। अप्रार्थी/अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित अवश्य हो सकते हैं लेकिन उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करना एक न्यायिक अपेक्षा है जो उनके द्वारा पूर्ति नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, अपीलांट द्वारा कतिपय प्रभावित पक्षकारों को ही पक्षकार संयोजित किया गया है वादग्रस्त भूमि के समस्त खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है अतः प्रस्तुत अपील आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयोजित नहीं करने के दोष से भी ग्रसित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक विधिक आपति स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन से प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक विधिक आपति स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त नहीं करने तथा आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की जारी हुए
1/8/2021	फिजीयोडी कौशल / स्वाति कौशल	

संयोजित नहीं करने के दोष से ग्रसित होने के कारण हस्तगत अपील चलने योग्य (Maintainable) नहीं है तथा इसी स्टेज पर अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत न्यायालय का रिकॉर्ड निर्णय की प्रतिलिपि के साथ लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22-07.2021 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
जयपुर

Scanned by CamScanner